

राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर,

क्रमांक-प.1(1)(जी-18III)नि.कृ/गुप-8/1627-1700

दिनांक : 04/01/17

:- कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक प.7(68) भर्ती/गोपनीय/2008-09 /337 दिनांक 28.10.2016 एवं प.7(68) भर्ती 'क'/2008-09/1954 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के पद पर वित्त विभाग की अधिसूचना प.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2016 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे-बेण्ड 9300-34800 (पीबी 2) ग्रेड पे 4800/- में कार्य ग्रहण तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिये नियत वेतन रूपये 17230/- (अक्षरे सतरह हजार दो सौ तीस मात्र) प्रति माह देय होगा। इनकी नियुक्ति पुलिस विभाग से प्राप्त पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है :-
सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	वर्ग	वर्ग जिसके विरुद्ध चयन	मेरिट क्रमांक	जन्म दिनांक	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	श्री कन्हैया लाल	श्री चेनाराम गुर्जर	गुर्जरो का बास, गांव - बनाड जोधपुर	SBC	SBC	M-7	05-02-1988	कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०), मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दौसा
2	श्री महेन्द्र कुमार यादव	श्री जगदीश प्रसाद यादव	परिहार फार्म हाउस, ग्राम करीरी, तह०-शाहपुरा जिला जयपुर	BC	BC	M-11	08-08-1993	कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, भरतपुर

उक्त नियुक्तियाँ निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन होगी :-

- उक्त चयनित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया/चयन एवं नियुक्ति, कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के संबंध में माननीय विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं के अध्याधीन रहेगी।
- नवनियुक्त अधिकारियों के लिये अंशदायी पेन्शन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.01.2004 एवं 13.03.2006 के अनुसार लागू होगी।
- पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची IV के अनुसरण में फिक्स वेतन एवं वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

६

4. चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होंगे।
5. कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संतान संबंधी प्रमाण पत्र /घोषणा प्रस्तुत करने होंगे।
6. परिविक्षा अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना/आदेश दिनांक 13.06.2006 में अंकित शर्तों/नियमों के अनुसार राज्य सेवा करनी होगी।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों को नवनियुक्त स्थान पर उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उक्त कार्मिकों की परिविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
9. वे चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान में राज्य सेवा में कार्यरत हैं वे विधिवतरूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
10. नवपदस्थापित अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अपनी उपस्थिति 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक, कृषि

दिनांक : 04/01/17

क्रमांक—प.1(1)(जी-18III)नि.कृ/गुप-8/1627-1700
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. निदेशक उद्यान विभाग मु0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान), मुख्यालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला/ गुण नियंत्रण/ राजकीय अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला मु0 जयपुर/दुर्गापुर।
5. संयुक्त निदेशक कृषि
6. उप निदेशक कृषि (वि0)
7. उप निदेशक कृषि (रसायन)
8. कृषि अनुसंधान अधिकारी
9. सम्बन्धित श्री.....।
10. निजी/आरक्षी पत्रावली।

(सोमेन्द्र शर्मा)

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि, (प्रशासन)